न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प कोर्ट रीवा (म0प्र0)

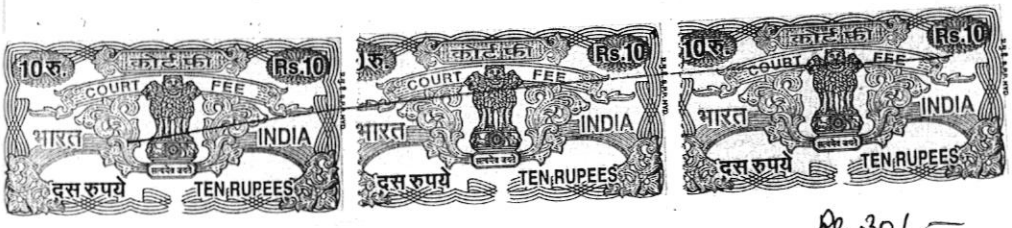

56

R 5255-II/16

Rs. 30/-

मु0 सरास्वती देवी पत्नी स्व0 मगलेश्वर प्रसाद शुक्ला उम्र-लगभग 70 वर्ष, साकिन ग्राम अमहा पण्डितान पोस्ट हनुमना जिला रीवा (म0प्र0) --------निगरानीकर्ता

बनाम्

शंकरलाल शुक्ला पिता बैजनाथ शुक्ला निवासी अमहा पण्डितान पोस्ट हनुमना जिला रीवा (म0प्र0) -------गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी बिरुद्ध निर्णय राजस्व निरीक्षक महोदय वृत्त हनुमना जिला रीवा म0प्र0 के सीमांकन प्रकरण क्रमांक - 126ए 122014-15 निर्णय दिनांक 17/8/2015

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0संहिता सन् 1959ई0।

मान्यवर,

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी निम्न है :-

यह कि अनावेदक/गैरनिगरानीकर्ता शंकरलाल शुक्ला द्वारा ग्राम अमहा पण्डितान की आराजी नम्बर 64 रकवा 0.45 एकड़ के सीमांकन के लिये राजस्व निरीक्षक महोदय हनुमना के कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया तथा राजस्व निरीक्षक महोदय हनुमना द्वारा दिनांक 17/8/2015 को सीमांकन की पुष्टीकरण आदेश पारित किया है जिससे पीड़ित होकर निम्न आधारो पर यह निगरानी प्रस्तुत की जा रही है :-

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक निगरानी 5255–दो/2016 जिला–रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआदि के हस्ताक्षर
23 –5–18	आवेदक अधिवक्ता श्री राजकुमार सिंह द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत्त हनुमना जिला रीवा के प्रकरण कमांक 126/अ–12/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 17.08.15 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। आवेदक द्वारा निगरानी मेमों के साथ धारा–5 का आवेदन भी प्रस्तुत किया गया है। 2–आवेदक अधिवक्त के तर्क सुने। प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से स्पष्ट है कि आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी लगभग 10 माह के विलंब से प्रस्तुत की गई है। आवेदक द्वारा म्याद अधिनियम की धारा–5 के अन्तर्गत दिये गये आवेदन में ऐसे कोई ठोस आधार नहीं दर्शाये गये हैं जिसमें विलंब मांफ किया जा सके, समयावधि बाह्य प्रकरणों में दिन प्रतिदिन के विलंब का स्पष्ट एवं समाधानकारक कारण दर्शाया जाना चाहिये। आवेदक अधिवक्ता एवं आवेदक द्वारा विलंब के संबंध में कोई ठोस व स्पष्ट कारण नहीं दर्शा सके है। अतः निगरानी अवधि बाह्य मान्य करते हुये अग्राह की जाती है। (एस0 एस0 अली) सदस्य	